न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

नं. मु. :– 53 / 2024 निर्णय – दिनांक :– 30-12-24

1. पुष्पा देवी पुत्री भगवानाराम पत्नी हनुमानप्रसाद उम्र 57 वर्ष जाति नाई निवासीनी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू हाल निवासीनी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

..... प्रार्थीनी ...

बनाम

1. भूराराम पुत्र भगवानाराम जाति नाई निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
2. राजेन्द्र पुत्र भगवानाराम जाति नाई निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
3. सुमन पुत्री भगवानाराम जाति नाई निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
4. सरोज पुत्री भगवानाराम जाति नाई निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)

– अप्रार्थीगण

"प्रार्थना पत्र वास्ते रिकॉर्ड दुरूस्ती

अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956"

निर्णय

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी एडवोकेट वास्ते प्रार्थीनी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 05

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी के संयुक्त खातेदारी का खेत रोही ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर में खेत खाता नम्बर नया 399, पुराना 402, खसरा संख्या 1269/96 तादादी 2.0740 हेक्टेयर का संयुक्त खातेदारी का खेत है जिसमें प्रार्थीनी का 1/6 हिस्सा निहित है।

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रार्थीनी के अलावा प्रार्थीनी के भाई–बहिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व प्रार्थीनी की माता रतनी देवी पत्नी भगवानाराम जिसकी मृत्यु दिनांक 26/05/2024 को हो चुकी है जिस कारण प्रार्थीनी की माता रतनी देवी को इस प्रार्थना–पत्र पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, जिनके विधिक वारिसान प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 हैं जिनको प्रार्थना–पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। उक्त खातेदारी रिकॉर्ड में प्रार्थीनी का नाम पुखराज पुत्र भगवानाराम अंकित है। जबकी प्रार्थीनी का सही व वास्तविक नाम पुष्पा देवी पुत्री भगवानाराम है। प्रार्थीनी के नाम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, में प्रार्थीनी का नाम पुष्पा देवी पुत्री भगवानाराम अंकित है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीनी का नाम पुखराज पुत्र भगवानाराम व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीनी का नाम पुष्पा देवी पुत्री भगवानाराम होने के कारण बैंक ऋण लेने व प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का अनुदान प्राप्त करने में प्रार्थीनी को परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थीनी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपना नाम पुखराज पुत्र भगवानाराम की जगह अपना सही एंव शुद्व नाम पुष्पा देवी पुत्री भगवानाराम का संशोधन कराये। प्रार्थीनी का गलत चला आ रहा नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही चाड़वास तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमान्‌जी के न्यायालय को प्राप्त है आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की विधिवत रूप से तामिल होने के बावजुद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्व प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार बीदासर ने अपना जवाब पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थीनी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है।

हमनें पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती का है जिसमें अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर ने अपने जवाब में प्रार्थीनी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थीनी का नाम पुष्पा देवी पुत्री भगवानाराम अंकित है।

लगातार 3 पर

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

जबकी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीनी का नाम पुखराज पुत्र भगवानाराम अंकित है जिसको प्रार्थीनी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम चाड़वास के खाता संख्या नया 399, पुराना 402, खसरा संख्या 1269/96 तादादी 2.0740 हेक्टेयर में प्रार्थीनी का नाम पुखराज पुत्र भगवानाराम को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थीनी का दस्तावेजी एंव शुद्व नाम पुष्पा देवी पुत्री भगवानाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 30/12/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर